न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1, गोण्डा।

उपस्थित–सूर्य प्रकाश सिंह, {एच0जे0एस0}.....यू0पी0 6272

दाण्डिक निगरानी सं0–116/2026

CNR No. UPGD01001419-2026

अब्दुल कुद्दूस आयु लगभग 47 वर्ष पुत्र मोहम्मद अय्यूब, निवासी ग्राम नरहरिया थाना–खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

———निगरानीकर्ता

बनाम

1. उ0प्र0 सरकार
2. सैय्याज आयु लगभग 40 वर्ष पुत्र फैय्याज, निवासी ग्राम नरहरिया थाना–खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

———विपक्षीगण

निर्णय

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी धारा–438/440 बी.एन.एस.एस के तहत विचारण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा वाद सं0–5703/2016 सरकार प्रति सैय्याज, अपराध सं0–349/2015 अन्तर्गत धारा–419,420,467,468,471 भा0दं0सं0 थाना खरगूपुर, जिला गोण्डा में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 17.02.2026 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गई है।

निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में यह आधार लिया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17.02.202 विधि एवं तथ्यों के पूर्णतया विपरीत है। प्रश्नगत आदेश पारित करते समय विचारण न्यायालय द्वारा अपने विधिक अधिकार का घोर अतिक्रमण किया गया है। प्रश्नगत आदेश पारित करते समय विचारण न्यायालय द्वारा अपने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 24.11.2025 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया, को समझने में पूर्णतया असफल रहा जबकि विचारण न्यायालय की अग्रिम कार्यवाही केवल अभियुक्ता शहनाज बेगम के बारे में स्थगित की गयी है न कि सम्पूर्ण मुकदमें की कार्यवाही स्थगित की गयी है। इस आधार पर भी विचारण न्यायालय का आदेश बरकरार रहने लायक नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 17.02.2026 पारित करते समय इस बात को नजरअन्दाज किया गया कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्ता शहनाज बेगम की याचिका पर सुनवाई करते हुए जो आदेश दिनांक–24.11.2025 को पारित किया गया वह अभियुक्ता शहनाज बेगम की तलबी आदेश दिनांक–04.10.2025 का अनुपालन और क्रियान्वयन को स्थगित

किया गया है न कि एकमात्र सह अभियुक्त सैय्याज के विरूद्ध कार्यवाही साक्ष्य आदि स्थगित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने अन्तर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विधिक त्रुटि की गयी है। विचारण न्यायालय के आदेश के कायम रहने से मुकदमा के निस्तारण में काफी विलम्ब होगा तथा वादी को न्याय नहीं मिल पायेगा। विचारण न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया गया है, जिससे न्याय मिलने में विलम्ब होगा। उक्त कथनों के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 17.02.2026 को निरस्त करने की याचना की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। सम्पूर्ण पत्रावली एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 17.02.2026 का सम्यक परिशीलन किया गया।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश दिनांक–17.02.2026 यह कहते हुये पारित किया गया कि न्यायालय द्वारा वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–319 द0प्र0स0 को निस्तारित / स्वीकार करते हुए अभियुक्त शहनाज बेगम को न्यायालय द्वारा तलब किया गया। न्यायालय के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अभियुक्ता शहनाज बेगम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिवीजन सं0–1356/ 2025 दायर की, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित–24.11.2025 में वादी को स्वंय उपस्थित होकर पैरवी करने तथा सूचीबद्ध होने की अगली तिथि तक अभियुक्ता शहनाज बेगम के विरूद्ध कार्यवाही स्थगित की गयी है। ऐसे में वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अलग किये जाने पत्रावली सैय्याज को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। इस स्तर पर आवेदक उपरोक्त का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। अतः मामले के तथ्यों एंव परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अभियुक्त सैय्याज की ओर से प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र निस्तारित की जाती है। आवेदक/ वादी मुकदमा अब्दुल कुद्दूस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते पृथक किये जाने पत्रावली अभियुक्त सैय्याज निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही नियत तिथि को पेश हो''।

उक्त आदेश के आलोक में पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त सैय्याज की पत्रावली द0प्र0स0 की धारा–319 के तहत तलबशुदा अभियुक्ता शहनाज बेगम से पृथक करने हेतु प्रार्थना पत्र

दिया गया। जिसको विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया। प्रार्थना पत्र निरस्त का यह आधार लिया गया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–319 द0प्र0स0 को निस्तारित करते हुये बाबत विचारण अभियुक्ता शहनाज बेगम को आहूत किया गया। विचारण न्यायालय के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अभियुक्ता शहनाज बेगम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिवीजन सं0–1356/ 2025 दायर की, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित– 24.11.2025 में वादी को स्वंय उपस्थित होकर पैरवी करने तथा सूचीबद्ध होने की अगली तिथि तक अभियुक्ता शहनाज बेगम के विरूद्ध कार्यवाही स्थगित की गयी है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नही की गयी है, क्योकि जब तक यह साबित नही हो जाता है कि अभियुक्ता शहनाज बेगम को न्यायालय द्वारा बाबत विचारण हेतु जो विचारण न्यायालय द्वारा तलब किया गया है, वह सही है और अपराध उपरोक्त में अभियुक्त सैय्याज के साथ शहनाज बेगम संलिप्त थी या नही, चूंकि उक्त के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका विचाराधीन है तथा माननीय उच्च न्यायालय से अभियुक्ता शहनाज बेगम के विरूद्ध कार्यवाही स्थगित है। उक्त परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुये ही विचारण न्यायालय ने पत्रावली पृथक करने हेतु वादी द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है। यह न्यायालय प्रश्नगत आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि व अनियमितता नही पाता है, ना ही अवर न्यायालय ने उसमें निहित क्षेत्राधिकारी का किसी प्रकार से दुरूपयोग किया है।

अतः यह न्यायालय अवर न्यायालय के प्रश्नगत आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही समझता है। तद्नुसार अवर न्यायालय द्वारा पारित तलबी आदेश दिनाकित–17.02.2026 पुष्टि किये जाने योग्य है तथा निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त की जाती है। अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनाकित–17.02.2026 पुष्टि किया जाता है। अवर न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब वास्ते अग्रिम कार्यवाही वापस भेजी जावे। पक्षकारान अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक–29.07.2026 को उपस्थित हो।

(सूर्य प्रकाश सिंह)
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0–1, गोण्डा।

दिनांक–17.07.2026

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सूर्य प्रकाश सिंह)
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0–1, गोण्डा।

दिनांक–17.07.2026

Digitally signed by SURYA PRAKASH SINGH
Date: 2026.07.01 22:10:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court